



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-10022025-260877
CG-MH-E-10022025-260877

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 102]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 10, 2025/माघ 21, 1946

No. 102]

NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 10, 2025/MAGHA 21, 1946

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

अधिसूचना

मुंबई, 10 फरवरी, 2025

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निवेशक चार्टर) (संशोधन) विनियम, 2025

फा. सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2025/228.—बोर्ड, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) की धारा 31, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 11 के साथ पठित धारा 30 तथा निक्षेपागार अधिनियम, 1996 (1996 का 22) की धारा 25 द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (स्टॉक दलाल) विनियम, 1992; भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मर्चेन्ट बैंककार) विनियम, 1992; भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निर्गम रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकर्ता) विनियम, 1993; भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (डिबेंचर न्यासी) विनियम, 1993; भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निर्गमन बैंककार) विनियम, 1994; भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) विनियम, 1996; भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अभिरक्षक) विनियम, 1996; भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [अपने ग्राहक को जानिये (केवाईसी) संबंधी रजिस्ट्रीकरण एजेंसी] विनियम, 2011; भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] विनियम, 2012; भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [विनिधान (निवेश) सलाहकार] विनियम, 2013; भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अनुसंधान विश्लेषक) विनियम, 2014; भारतीय

प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (रियल इस्टेट निवेश न्यास) विनियम, 2014; भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अवसंरचना निवेश न्यास) विनियम, 2014; भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) विनियम, 2018; भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक) विनियम, 2019; भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पोर्टफोलियो प्रबंधक) विनियम, 2020 तथा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (वॉल्ट प्रबंधक) विनियम, 2021 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निवेशक चार्टर) (संशोधन) विनियम, 2025 कहा जा सकेगा।
2. ये विनियम राजपत्र में इनके प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।
3. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (स्टॉक दलाल) विनियम, 1992 में, विनियम 18घ के बाद, निम्नलिखित विनियम जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

“निवेशक चार्टर

18घक. स्टॉक दलाल (ब्रोकर) बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने वाले निवेशक चार्टर का पालन सुनिश्चित करेगा।”

4. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मर्चेन्ट बैंककार) विनियम, 1992 में, विनियम 28ग के बाद, निम्नलिखित विनियम जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

“निवेशक चार्टर

28घ. मर्चेन्ट बैंकर बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने वाले निवेशक चार्टर का पालन सुनिश्चित करेगा।”

5. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निर्गम रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकर्ता) (संशोधन) विनियम, 1993 में, विनियम 15ग के बाद, निम्नलिखित विनियम जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

“निवेशक चार्टर

15घ. निर्गम रजिस्ट्रार (रजिस्ट्रार टू एन इश्यू) और शेयर अंतरण अभिकर्ता (शेयर ट्रांसफर एजेंट) बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने वाले निवेशक चार्टर का पालन सुनिश्चित करेगा।”

6. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (डिबेंचर न्यासी) विनियम, 1993 में, विनियम 14ख के बाद, निम्नलिखित विनियम जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

“निवेशक चार्टर

14ग. डिबेंचर न्यासी (डिबेंचर ट्रस्टी) बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने वाले निवेशक चार्टर का पालन सुनिश्चित करेगा।”

7. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निर्गमन बैंककार) विनियम, 1994 में, विनियम 16ख के बाद, निम्नलिखित विनियम जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

“निवेशक चार्टर

16ग. निर्गमन बैंककार (बैंकर टू एन इश्यू) बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने वाले निवेशक चार्टर का पालन सुनिश्चित करेगा।”

8. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) विनियम, 1996 में, विनियम 25 के उप-विनियम (29) के बाद, निम्नलिखित उप-विनियम जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

“(30) असेट मैनेजमेंट कंपनी (आस्ति प्रबंधक कंपनी) बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने वाले निवेशक चार्टर का पालन सुनिश्चित करेगा।”

9. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अभिरक्षक) विनियम, 1996 में, विनियम 20 के बाद, निम्नलिखित विनियम जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-
“निवेशक चार्टर
 20क. कस्टोडियन (अभिरक्षक) बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने वाले निवेशक चार्टर का पालन सुनिश्चित करेगा।”
10. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [अपने ग्राहक को जानिये (केवाईसी) संबंधी रजिस्ट्रीकरण एजेंसी] विनियम, 2011 में, विनियम 15 के खंड (त) के बाद, निम्नलिखित खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-
“(थ) केआरए बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने वाले निवेशक चार्टर का पालन सुनिश्चित करेगा।”
11. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] विनियम, 2012 में, विनियम 20 के उप-विनियम (22) के बाद, निम्नलिखित उप-विनियम जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-
“(23) आनुकल्पिक निवेश निधि (ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड) बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने वाले निवेशक चार्टर का पालन सुनिश्चित करेगी।”
12. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [विनिधान (निवेश) सलाहकार] विनियम, 2013 में, विनियम 15 के उप-विनियम (14) के बाद, निम्नलिखित उप-विनियम जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-
“(15) निवेश सलाहकार बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने वाले निवेशक चार्टर का पालन सुनिश्चित करेगा।”
13. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अनुसंधान विश्लेषक) विनियम, 2014 में, विनियम 24 के उप-विनियम (8) के बाद, निम्नलिखित उप-विनियम जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-
“(9) अनुसंधान विश्लेषक (रिसर्च एनालिस्ट) बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने वाले निवेशक चार्टर का पालन सुनिश्चित करेगा।”
14. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (रियल इस्टेट निवेश न्यास) विनियम, 2014 में, विनियम 10 के उप-विनियम (30) के बाद, निम्नलिखित उप-विनियम जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-
“(31) प्रबंधक बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने वाले निवेशक चार्टर का पालन सुनिश्चित करेगा।”
15. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अवसंरचना निवेश न्यास) विनियम, 2014 में, विनियम 10 के उप-विनियम (28) के बाद, निम्नलिखित उप-विनियम जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-
“(29) निवेश प्रबंधक बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने वाले निवेशक चार्टर का पालन सुनिश्चित करेगा।”
16. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) विनियम, 2018 में, विनियम 40 के बाद, निम्नलिखित विनियम जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-
“निवेशक चार्टर
 40क. निक्षेपागार सहभागी (डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट) बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने वाले निवेशक चार्टर का पालन सुनिश्चित करेगा।”
17. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक) विनियम, 2019 में, विनियम 31 के बाद, निम्नलिखित विनियम जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-
“निवेशक चार्टर
 31क. अभिहित निक्षेपागार सहभागी (डिसिग्रेटेड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट) बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने वाले निवेशक चार्टर का पालन सुनिश्चित करेगा।”

18. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पोर्टफोलियो प्रबंधक) विनियम, 2020 में, विनियम 23 के उप-विनियम (11) के बाद, निम्नलिखित उप-विनियम जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

“(12) पोर्टफोलियो प्रबंधक बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने वाले निवेशक चार्टर का पालन सुनिश्चित करेगा।”

19. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (वॉल्ट प्रबंधक) विनियम, 2021 में, विनियम 16ख के बाद, निम्नलिखित विनियम जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

“निवेशक चार्टर

16ग. वॉल्ट प्रबंधक बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने वाले निवेशक चार्टर का पालन सुनिश्चित करेगा।”

बबीता रायडू, कार्यपालक निदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./959/2024-25]

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 10th February, 2025

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (INVESTOR CHARTER) (AMENDMENT) REGULATIONS, 2025

F. No. SEBI/LAD-NRO/GN/2025/228.—In exercise of the powers conferred by section 31 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956), section 30 read with section 11 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992) and section 25 of the Depositories Act, 1996 (22 of 1996), the Board hereby makes the following regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Stock Brokers) Regulations, 1992, the Securities and Exchange Board of India (Merchant Bankers) Regulations, 1992, the Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Share Transfer Agents) Regulations, 1993, the Securities and Exchange Board of India (Debtenture Trustees) Regulations, 1993, the Securities and Exchange Board of India (Bankers to an Issue) Regulations, 1994, the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) Regulations, 1996, the Securities and Exchange Board of India (Custodian) Regulations, 1996, the Securities and Exchange Board of India {KYC (Know Your Client) Registration Agency} Regulations, 2011, the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) Regulations, 2012, the Securities and Exchange Board of India (Investment Advisers) Regulations, 2013, the Securities and Exchange Board of India (Research Analysts) Regulations, 2014, the Securities and Exchange Board of India (Real Estate Investment Trusts), Regulations, 2014, the Securities and Exchange Board of India (Infrastructure Investment Trusts) Regulations, 2014, the Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) Regulations, 2018, the Securities and Exchange Board of India (Foreign Portfolio Investors) Regulations, 2019, the Securities and Exchange Board of India (Portfolio Managers) Regulations, 2020, the Securities and Exchange Board of India (Vault Managers) Regulations, 2021 namely:—

1. These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Investor Charter) (Amendment) Regulations, 2025.
2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
3. In the Securities and Exchange Board of India (Stock Brokers) Regulations, 1992, after regulation 18D, the following regulation shall be inserted, namely, —

“**Investor Charter.**

18DA. The stock broker shall ensure compliance with the Investor Charter specified by the Board from time to time.”

4. In the Securities and Exchange Board of India (Merchant Bankers) Regulations, 1992, after regulation 28C, the following regulation shall be inserted, namely, —

“Investor Charter.

28D. The merchant banker shall ensure compliance with the Investor Charter specified by the Board from time to time.”

5. In the Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Share Transfer Agents) Regulations, 1993, after regulation 15C, the following regulation shall be inserted, namely, —

“Investor Charter.

15D. The registrar to an issue and share transfer agent shall ensure compliance with the Investor Charter specified by the Board from time to time.”

6. In the Securities and Exchange Board of India (Debenture Trustees) Regulations, 1993, after regulation 14B, the following regulation shall be inserted, namely, —

“Investor Charter.

14C. The debenture trustee shall ensure compliance with the Investor Charter specified by the Board from time to time.”

7. In the Securities and Exchange Board of India (Bankers to an Issue) Regulations, 1994, after regulation 16B, the following regulation shall be inserted, namely, —

“Investor Charter.

16C. The banker to an issue shall ensure compliance with the Investor Charter specified by the Board from time to time.”

8. In the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) Regulations, 1996, after sub-regulation 29 of regulation 25, the following sub-regulation shall be inserted, namely, —

“(30) An asset management company shall ensure compliance with the Investor Charter specified by the Board from time to time.”

9. In the Securities and Exchange Board of India (Custodian) Regulations, 1996, after regulation 20, the following regulation shall be inserted, namely, —

“Investor Charter.

20A. The custodian shall ensure compliance with the Investor Charter specified by the Board from time to time.”

10. In the Securities and Exchange Board of India {KYC (Know Your Client) Registration Agency} Regulations, 2011, after clause (p) of regulation 15, the following clause shall be inserted, namely, —

“(q) The KRA shall ensure compliance with the Investor Charter specified by the Board from time to time.”

11. In the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) Regulations, 2012, after sub-regulation 22 of regulation 20, the following sub-regulation shall be inserted, namely, —

“(23) The Alternative Investment Fund shall ensure compliance with the Investor Charter specified by the Board from time to time.”

12. In the Securities and Exchange Board of India (Investment Advisers) Regulations, 2013, after sub-regulation 14 of regulation 15, the following sub-regulation shall be inserted, namely, —

“(15) An investment adviser shall ensure compliance with the Investor Charter specified by the Board from time to time.”

13. In the Securities and Exchange Board of India (Research Analysts) Regulations, 2014, after sub-regulation 8 of regulation 24, the following sub-regulation shall be inserted, namely, —

“(9) A research analyst shall ensure compliance with the Investor Charter specified by the Board from time to time.”

14. In the Securities and Exchange Board of India (Real Estate Investment Trusts), Regulations, 2014, after sub-regulation 30 of regulation 10, the following sub-regulation shall be inserted, namely, —

“(31) The manager shall ensure compliance with the Investor Charter as may be specified by the Board from time to time.”

15. In the Securities and Exchange Board of India (Infrastructure Investment Trusts) Regulations, 2014, after sub-regulation 28 of regulation 10, the following sub-regulation shall be inserted, namely, —

“(29) The investment manager shall ensure compliance with the Investor Charter as may be specified by the Board from time to time.”

16. In the Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) Regulations, 2018, after regulation 40, the following regulation shall be inserted, namely, —

“Investor Charter.

40A. The depository participant shall ensure compliance with the Investor Charter specified by the Board from time to time.”

17. In the Securities and Exchange Board of India (Foreign Portfolio Investors) Regulations, 2019, after regulation 31, the following regulation shall be inserted, namely, —

“Investor Charter.

31A. The designated depository participant shall ensure compliance with the Investor Charter specified by the Board from time to time.”

18. In the Securities and Exchange Board of India (Portfolio Managers) Regulations, 2020, after sub-regulation 11 of regulation 23, the following sub-regulation shall be inserted, namely, —

“(12) The portfolio manager shall ensure compliance with the Investor Charter specified by the Board from time to time.”

19. In the Securities and Exchange Board of India (Vault Managers) Regulations, 2021, after regulation 16B, the following regulation shall be inserted, namely, —

“Investor Charter.

16C. The Vault Manager shall ensure compliance with the Investor Charter specified by the Board from time to time.”

BABITHA RAYUDU, Executive Director
[ADVT.-III/4/Exty./959/2024-25]